

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 455 / 2022


दिनांक : 10.02.2022

श्रीमती अम्बिका (RJ1113), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिड़ावा (झालावाड़) को दिनांक 14.02.2022 से 12.08.2022 तक 180 दिवस का मातृत्व अवकाश (प्रथम संतान) दिनांक 12.02.2022 से 13.02.2022 एवं 13.08.2022 से 15.08.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री नीरज कुमार-II (RJ0655), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़ को श्रीमती अम्बिका के उक्त मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिड़ावा (झालावाड़) के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित/नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. श्री नीरज कुमार-II (RJ0655), अति. कार्यभार वाले न्यायालयों में आनुकल्पिक सप्ताह (Alternate Week) कम से कम तीन दिन (At least for three days in alternate week) कैम्प कोर्ट करेंगे।

आज्ञा से,


  
09.02.2022  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2 (4)/101/2016/ 948

दिनांक 10.02.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड़ को उनके पत्रांक 488 दिनांक 29.01.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती अम्बिका (RJ1113), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिड़ावा (झालावाड़)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिड़ावा (झालावाड़)।
5. श्री नीरज कुमार-II (RJ0655), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा. उ.न्या., जोधपुर।

  
10.2.2022  
सहायक रजिस्ट्रार